

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 26-6-19


- संख्या-7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0...8534.../महानिबधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-44302 दिनांक 17.05.2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री अजीत कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना, पीठासीन पदाधिकारी विशेष न्यायालय, एन0आई0ए0, पटना को बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय, पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
2. संख्या-7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0...8535.../महानिबधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-44302 दिनांक 17.05.2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री बीरेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर को बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय, मुजफ्फरपुर के प्राधिकृत पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
3. संख्या-7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0...8536.../महानिबधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-44302 दिनांक 17.05.2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री बिनय कुमार मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर को बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय, भागलपुर के प्राधिकृत पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
4. संख्या-7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0...8537.../महानिबधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-41899 दिनांक 09.05.2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री मधुकर कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (डी0ए0 केस को छोड़कर) के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायाधीश (निगरानी), पटना के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
5. संख्या-7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0...8538.../महानिबधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-41899 दिनांक 09.05.2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री कुमुद रंजन सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (डी0ए0 केस को छोड़कर) के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायाधीश (निगरानी), भागलपुर के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।
6. संख्या-7/स्था01-9-03/2010 (खण्ड-II)सा0प्र0...8539.../महानिबधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-41899 दिनांक 09.05.2019 में निहित अनुशंसा के आलोक में श्री राधे श्याम शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (डी0ए0 केस को छोड़कर) के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायाधीश (निगरानी), मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(गुफरान अहमद)


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0.8539 पटना-15, दिनांक 26-6-19
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट
कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो
प्रतियों में) सी0डी0 के साथ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-9-03/2010(खण्ड-II)सा0प्र0.8539 पटना-15, दिनांक 26-6-19
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय,
पटना को उनके पत्रांक-44302 दिनांक 17.05.2019 एवं पत्रांक-41899 दिनांक 09.05.2019
के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना,
भागलपुर, मुजफ्फरपुर/श्री अजीत कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना, श्री
बीरेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर, श्री बिनय कुमार मिश्रा, अपर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर, श्री मधुकर कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पटना, श्री कुमुद रंजन सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर एवं श्री राधे श्याम
शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को



सरकार के उप सचिव।